गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र.२५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर–४९५००९ (छ.ग.)
दूरभाष : ०७७५२-२६०२०९, फैक्स : ०७७५२-२६०१५४
ई-मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 46 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/2017 बिलासपुर दिनांक : 27/03/2017

।। अधिसूचना ।।

इस कार्यालय की अधिसूचना कमांक 93/बै.प्र./2015 बिलासपुर दिनांक 30.10.2015, क्रमांक 361/कु.स./बै.प्र./विद्यापरिषद्/2016 दिनांक 08.04.2016, कमांक 170/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2016 दिनांक 13.06.2016, कमांक 275/बै.प्र./विद्यापरिषद्2016 दिनांक 29.11.2016, कमांक 21/बै.प्र. /विद्यापरिषद्/2017 दिनांक 06.02.2017 तथा कमांक 36/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2017 दिनांक 16.03.2017 के अनुकम में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है : –

13(1)(v) **विभिन्न अध्ययनशालाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए कुलपति द्वारा नामित 05 आचार्य (जो अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता या विभाग/केन्द्र के अध्यक्ष न हो) –**

1) प्रो. जी.के. पात्रा, आचार्य – रसायनशास्त्र विभाग

उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल विद्यापरिषद् के कार्यकाल के साथ अथवा पदेन पद के कार्यकाल, जो भी पहले हो, के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ0क्रमांक 47 /कु.स./बै.प्र./विद्यापरिषद्/2017 बिलासपुर दिनांक : 27/03/2017

प्रतिलिपि –

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. माननीय कुलपति महोदय के सचिव को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
03. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
05. वेब पटल प्रभारी, गु.घा.वि.वि., बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)